न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला
राजस्व प्रार्थना पत्र 38/2017

1.श्री शकुर पुत्र श्री स्व. श्री सायर उम्र सायर उम्र 46 वर्ष जाति चीता, निवासी गाव भवानीखेडा, हरराजपुरा तहसील मसूदा अजमेर।

2. श्रीमति कमला पत्नि श्री रोशन पुत्री स्व. श्री सायर उम्र 42 वर्ष जाति चीता, निवासी गाव सेदंडा तहसील रायपुर जिला पाली।

3.श्रीमति जमीला पत्नि श्री ईस्माइल जी पुत्री स्व. श्री सायर उम्र 42 वर्ष जाति चीता, निवासी गाव श्यामगढ खातोलाइ का बाडिया हिम्मता रूपारेल तहसील, मसूदा जिला अजमेर। .....प्रार्थिगण

बनाम

श्रीमान तहसीलदार महोदय, मसूदा बजरिये लैण्ड होल्डर .....अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र मे सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम मसूदा प्रथम, पटवार क्षेत्र मसूदा प्रथम भू.अभि.नि.क्षेत्र मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर के खसरा नं. 769,770,772 स्थित है।आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2018 से 2020 के अनुसार स्व0 श्री मंगला पुत्र स्व0 श्री घीसा जाति रावत मेहरात निवासी ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर के नाम दर्ज चली आ रही थी। तत्पश्चात स्व0 श्री मंगला, स्व0 श्री हजारी, व स्व0 श्रीमति नसीबा पिसरान स्व0 श्री घीसा ने संयुक्त रूप से उक्त अराजीयात को बहुमूल्य प्रतिफल कें बदले दिनांक 03–05–1963 को प्रार्थिगण के पिता स्व0 श्री सायर पुत्र महमदा उर्फ मेमदा के नाम रजिस्ट्रड बेचान कर कब्जा संभला दिया, तब से वह उक्त अराजीयात पर प्रार्थीगण के पिता का कब्जा उनके जिते जी रहा था, तत्पश्चात प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 03–07–2014 को हो जाने के बाद वर्तमान मे उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त बिना बाधा के निरन्तर चला आ रहा है।

यह की तत्पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजीयात का नामांतरण प्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री सायर पुत्र स्व0 श्री महमदा उर्फ मेमदा जाति चिता के नाम दर्ज करके खातेदारी अधिकार देकर लगान कायम किया गया जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2024 से 2028 के अनुसार भली भांती प्रकट होता है।

यह कि राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी संवत 2024 से 2028 से पुर्व में प्रार्थीगण के दादा जी का नाम स्व0 श्री महमदा दर्ज चला आ रहा था, लेकिन बाद में सेटलमेंट के पश्चात रोटेसन जमाबंदियों मे वर्किंग जमाबंदी संवत्2041 से 2075 हाल तक के रिकोर्ड मे संहवन से कलीरीकल त्रुटि वश राजस्व कर्मचारीयों की भुल से प्रार्थिगण के दादा का नाम महमदा उर्फ मेमदा के स्थान पर अहमदा अंकित कर दिया गया जा पुर्णतः गलत है, जिसको प्रार्थीगण दुरस्थ कराने के अधिकारी है।

यह कि प्रार्थिगण के दादा का नाम सरपंच ग्राम पंचायत धौलादांता का सर्जरा प्रमाण–पत्र पहचान–पत्र, आधार कार्ड, रासन कार्ड, प्रार्थी के पिता स्व0 सायर पुत्र स्व श्री महमदा का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पास बूक डायरी व ग्राम मौजा भवानीखेड़ा पटवार हल्का बस्सी मे स्थित प्रार्थिगण की अन्य खातेदारी भूमियों के आधार पर प्रार्थी प्रार्थीगण के दादा का नाम श्री महमदा उर्फ मेमदा अंकित चला आ रहा होने के कारण प्रार्थिगण के दादा का नाम संसोधन किया जान उचित व न्यायोचित है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 मे वर्णीत आराजीयात मे प्रार्थीगण के दादा का नाम महमदा उर्फ मेमदा के स्थान पर अहमदा अंकित कर दिया गया है, जिसे दुरस्थ करके सही नाम महमदा उर्फ मेमदा अंकित करने के आदेश पारित करें।

आदेश

मैनें प्रार्थी को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मसूदा ने भी जवाब पेश कर निवदेन किया है कि उक्त प्रकरण में त्रुटि सुधार की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बाद अवलोकन पत्रावली, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा ग्राम मसूदा प्रथम, पटवार क्षेत्र मसूदा प्रथम भू.अभि.नि.क्षेत्र मसूदा तहसील मसूदा की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 815 खसरा नम्बर 769, 770, 772 में प्रार्थीगण के दादा का नाम महमदा उर्फ मेमदा के स्थान पर अहमदा अंकित कर दिया गया है, जिसे दुरस्थ करके सही नाम महमदा उर्फ मेमदा अंकित करने के आदेश तहसीलदार मसूदा पर पारित किये जाते है। यथानुसार जरिए नामान्तरकरण राजस्व अभिलेखों में पूर्व की जमाबन्दियों से वर्तमान जमाबन्दी तक दर्ज करवाया जावे। प्रार्थना पत्र फेसल शुमार हो।

आदेश आज दिनांक 29.06.2018 राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प कोर्ट में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 15:09:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: